पत्र संख्या :- 106 /खाद्य/बजट/2003

प्रेषक:-

विरेन्द्र दत्ता,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में:-

वित्त नियंत्रक,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग   देहरादून : दिनांक: मार्च 25, 2003

विषय: लेखाशीर्षक 4408 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2002-2003)

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 358/खाद्य/बजट/-4408/2002-2003 तथा शासनादेश संख्या 02/खाद्य/बजट/2003 दिनांक 01 जनवरी, 2003 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्न क्रय, हैण्डलिंग/परिवहन/गोदाम किराया/ विद्युत देयक आदि (विविध व्यय) तथा भण्डारण शुल्क के भुगतान हेतु निम्न विवरणानुसार कुल रु0 4,82,00,000/- (रुपये चार करोड़ बयासी लाख मात्र) की धनराशि को अवमुक्त कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	मद का नाम	गढ़वाल संभाग हेतु स्वीकृत धनराशि (रुपये में)	कुमायूँ संभाग हेतु स्वीकृत धनराशि (रुपये में)	कुल स्वीकृत धनराशि (रुपये में)
1	सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्न क्रय	-	2,00,00,000	2,00,00,000
2	हैण्डलिंग/परिवहन/गोदाम किराया /विद्युत देयक/व्यापार/पाट व्यय अखबार प्रकाशन/रिपेयरिंग आदि	32,00,000	2,50,00,000	2,82,00,000
	योग	32,00,,000	4,50,00,000	4,82,00,000

(रुपये चार करोड़ बयासी लाख मात्र)

1. धनराशि का आहरण तात्कालिक वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाये और शेष धनराशि इसके विपरीत प्रतिपूर्ति के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

2. इस धनराशि से सम्बन्धित लेखे व्यापार लेखा (ट्रेडिंग एकाउण्ट) के रूप में रखे जायेंगे तथा प्रतिवर्ष पृथक-पृथक शीर्षक तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त हानि-लाभ लेखा बनाया जायेगा।

3. इस धनराशि के आहरण की अनुमति लेखाशीर्षक-4408 के वर्तमान वर्ष से सम्बन्धित बजट धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही प्रदान की जायेगी।

4. उक्त धनराशि से पहले सबसे पुराने दावों का भुगतान नियमानुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

5. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में जमा धनराशि (केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष से संबंधित पूर्व वित्तीय वर्ष की धनराशि को शामिल न करते हुए) में से आहरित धनराशि घटाकर अवशेष धनराशि की सीमा तक ही आवश्यक धनराशि का आहरण किया जायेगा। इस हेतु संबंधित बिल पर तद्विषयक प्रमाण पत्र आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अंकित किया जायेगा।

6. स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2002-2003 के अनुदान संख्या-25 के लेखा शीर्षक 4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय-00-आयोजनेत्तर-01- खाद्य-101-प्रापण और पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-31-सामग्री और सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(वीरेन्द्र [illegible])
सचिव

संख्या-[illegible]/2003, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तरांचल, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, देहरादून/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
5. निदेशक, कोषागार वित्त निदेशालय, उत्तरांचल देहरादून।
6. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग।
7. अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर।
9. सम्भागीय लेखाधिकारी, खाद्य गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग, देहरादून/हल्द्वानी।
10. वित्त अनुभाग-3 उत्तरांचल शासन।
11. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

([illegible])
अपर सचिव